



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) golmoefrolko@gmail.com

File No. 8B/UP/04/22/2018/FC/ 196

Date: 23 March 2018

To,
✓ The Nodal Officer (FCA),
Department of Forests,
Government of UP, Aranaya Bhavan,
17 Rana Pratap Marg,
Lucknow-226001

ON LINE PROPOSAL No: FP/UP/Transmission/31506/2016

Subject: Proposed forest land (Protected Forest) diversion for 765 kV double circuit transmission line Orai Aligarh transmission line involving 1.0082 ha in Aligarh District with felling of 11 trees and 0.6595 ha in Hathras District with felling of 46 trees & 280 poles, total 1.6677 ha of trees with felling of 57 trees and 280 poles-reg.

Ref: Letter no. 2543/Orai-Aligarh Line (Integrated-1.6677)/31506/2018 dated 27th February 2018

Sir,

In reference to your above mentioned letter where approval for above referred forest land diversion proposal was sought; I have been directed to convey following shortcomings of the proposal for necessary rectification:

1. As per GIS DSS analysis following points regarding proposed forest land for diversion and proposed compensatory afforestation:
 - a. Kml files of alternated routes are not provided.
 - b. The SOI toposheet of proposed land to be diverted as well as CA land has not been submitted.
 - c. Proposed CA area shows good vegetation therefore site suitability for compensatory afforestation needs a relook.
2. Details of employment generated in E of part I is not consistent with details provided in short narrative of the project.
3. Land schedule shall be revised keeping perpendicular distance as approved RoW which is 67 mts in this case.
4. As per part II of the proposal there exists violation of FCA 1980, a self contained duly providing details of violation, causes, extent etc need submission from the concerned DFO along with details of action initiated.
5. Site inspection report of DFO Hathras does not indicate legal status of forest land.

(Signature)
23/3/18

Therefore, the proposal is hereby placed under EDS category for rectification/revision of the same as per the observations made above in point wise manner.

Encl: As mentioned above.

Yours faithfully,
(Brijendra Swaroop)
Conservator of Forest(C)

Copy to:

1. Principal Secretary, Department of Forests & Wildlife, Government of UP, 6th floor Babu Bhavan, Sachivalaya, Lucknow-226001
2. Conservator of Forests, Aligarh Circle, Department of Forest, Aligarh.
3. Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Aligarh.
4. Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Hathras.
5. DGM, Power Grid Corporation of India Limited, Flat no. 304, Block D Green Park township Etah Bypass Road PO- Quarsi, Aligarh, Uttar - 283125
6. Personal Assistant/Shri Jitendra, Regional Office, MoEF&CC, Lucknow for uploading on www.forestclearance.nic.in and on regional office's website.
7. Guard File

(Brijendra Swaroop)
Conservator of Forest(C)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
पत्रांक-2845 /उरई-अलीगढ़ लाईन(1.6677)/31506/2016, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 05, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कराकर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि इस परियोजना में हाथरस में प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, अतः इस परियोजना हेतु आपको नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उपरोक्तानुसार किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सम्बन्धित वन प्रभागों से सूचनार्थ एवं अभिलेख पूर्ण कराकर निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कराकर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव अपने वन संरक्षक को 07 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचनार्थ एवं अभिलेख तत्काल पूर्ण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि उप महाप्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराकर प्रस्ताव पूर्ण करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

2 | Page

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ।

पत्रांक: 3362/5-1 दिनांक, अलीगढ़, अप्रैल 06, 2018

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि इस परियोजना में हाथरस में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक होने के कारण इस परियोजना हेतु आपको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उपरोक्तानुसार किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त वन प्रभागों से सूचनार्थ एवं अभिलेख पूर्ण कराकर निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार सूचनाओं का निराकरण कराकर त्रुटिरहित पूर्ण संशोधित प्रस्ताव ऑनलाइन एवं ऑफलाइन 06 दिन में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।